क्रम-संख्या–173 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–4, खण्ड (क)**

(सामान्य परिनियम नियम)

**लखनऊ, बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025**
कार्तिक 7, 1947 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश शासन**
कार्मिक अनुभाग–4

संख्या 151 / आयोग / 47 / का-4-2023 / 15 / 19 / 18
लखनऊ, 29 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

**प्रकीर्ण**

**सा0प0नि0–71**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

### उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(तीन) यह स्क्रीनिंग परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधे चयन द्वारा की गयी समस्त भर्तियों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2– यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:

(क) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है:

(ख) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(घ) ''पद'' का तात्पर्य किसी राजपत्रित पद अथवा समूह 'ख' के पदों से है, जिसके लिए चयन केवल आयोग के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा किया जाए;

(ङ) ''सेवा नियमावली'' का तात्पर्य सेवा को शासित करने वाले नियमों और शासनादेशों से है तथा इसमें पद के लिये भर्ती की रीति विहित करने वाले नियम सम्मिलित है;

(च) ''स्क्रीनिंग परीक्षा'' का तात्पर्य साक्षात्कार में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का पता लगाने के प्रयोजन से आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा से है;

(छ) ''सीधी भर्ती'' का तात्पर्य आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जाने वाली भर्ती से है;

(ज) ''उपयुक्त अभ्यर्थियों'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो स्क्रीनिंग परीक्षा में आयोग द्वारा यथा नियत की गयी न्यूनतम अंक प्राप्त करें, जिससे वह यथास्थिति, साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये समर्थ हो सके;

(झ) ''स्क्रीनिंग परीक्षा'' या ''साक्षात्कार'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली और शासनादेशों के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा या साक्षात्कार से है।

स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन

4–(क) सीधी भर्ती से संबंधित सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, आयोग, साक्षात्कार के लिये प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(ख) जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहां केवल ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हों, आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिये हकदार होंगे।

(ग) अन्तिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार में 25 प्रतिशत अंक जोड़कर योग्यता अवधारित किया जायेगा।

(घ) स्क्रीनिंग परीक्षा दो घंटे की अवधि का एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें एक भाग सामान्य ज्ञान/सामान्य अध्ययन का होगा तथा अन्य भाग पद की अनिवार्य अर्हता में उल्लिखित विषयों से संबंधित होगा जिसमें एक विषय अभ्यर्थी द्वारा चुना गया हो। स्क्रीनिंग परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार पद की अनिवार्य अर्हता के संबंध में तैयार किया जायेगा।

(ङ) प्रश्न-पत्र स्क्रीनिंग परीक्षा के लिये अनुज्ञात भाषा में बनाये जायेंगे और ऐसे मामलों में, जहां साक्षात्कार द्वारा चयन सेवा नियमावली और शासनादेशों में विहित हो, वहां अंग्रेजी और हिन्दी में बनायें जायेगें।

(च) स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर, दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया गया हो।

सीधी भर्ती हेतु अन्य निबंधन एवं शर्तें अप्रभावित रहना

5– नियम–4 के उपबंधों के अध्यधीन, सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंध अप्रभावित रहेंगी।

व्यावृत्ति

6– इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को लंबित चयन सुसंगत सेवा नियमावली और शासनादेशों के अनुसार जारी रखा जायेगा और समाप्त किया जायेगा मानो यह नियमावली प्रवृत्त न हुई हो।

आज्ञा से,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 151/ayog/47/Ka-4-2023/15/19/18 dated October 29, 2025:

No. 151/ayog/47/Ka-4-2023/15/19/18

*Dated Lucknow, October* 29, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of The Constitution the Governor is pleased to make the following rules:–

## THE UTTAR PRADESH DIRECT RECRUITMENT THROUGH PUBLIC SERVICE COMMISSION (SCREENING EXAMINATION) RULES, 2025

Short title, commencement and applicability

1. (i) These rules may be called The Uttar Pradesh Direct Recruitment Through Public Service Commission (Screening Examination) Rules, 2025.

(ii) They shall come into force at once.

(iii) They shall apply to all the recruitment made directly by selection through Commission either on the basis of Screening examination & interview.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. In these rules unless anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Commission' means Public Service Commission, Uttar Pradesh;

(b) 'Government' means Government of Uttar Pradesh;

(c) 'Governor' means Governor of Uttar Pradesh;

(d) 'post' means any gazetted post or posts of Group 'B', the selection for which is made only through interview by the Commission;

(e) 'service rules' means the rules and Government orders governing the service and include the rules prescribing method of recruitment for post;

(f) 'Screening Examination' means screening test to be conducted by the Commission with the purpose of finding out suitable candidates for admission to the interview;

(g) 'direct recruitment' means recruitment made only through the interview by the Commission;

(h) 'suitable candidates' means candidate securing minimum number of marks as fixed by Commission at Screening Examination thereby enabling him to appear in the interview as the case may be;

(i) 'Screening Examination' or 'Interview' means the Screening Examination or Interview as per relevant service rules and Government orders.

Holding of Screening Examination

4. (a) Notwithstanding anything otherwise contained in relevant service rules regarding direct recruitment, the Commission may, hold Screening Examination for selection of suitable candidates for admission to interview.

(b) Where a Screening Examination is held only such candidates as qualify in the Screening Examination will be entitled for Interview as per the standard of the Commission.

(c) The final merit order will be determined by adding 75% marks in screening test and 25% marks in interview.

(d) Screening Examination will consist of a question paper of two hours' duration in which one part will be of General Knowledge / General Studies and the other part will be related to the subjects mentioned in the essential qualification of the post in which one subject has been chosen by the candidate. The Examination Plan and Syllabus of the screening test will be prepared by the Commission at its discretion in relation to the essential qualification of the post.

(e) The question papers will be set in the language permitted for Screening Examination and in English and Hindi in cases where selection by interview is prescribed in service rules and Government orders.

(f) The Screening Examination shall be held at places and on dates and time as is fixed by Commission.

Other terms conditions for direct recruitment to remain unaffected

5. Subject to the provisions of rule-4, the other provisions contained in the relevant service rules shall remain unaffected.

Saving

6. Notwithstanding anything contained in these rules the selection pending on the date of commencement of these rules shall be continued and concluded in accordance with the relevant service rules and Government orders, as if these rules had not been in force.

By order,
M. DEVARAJ,
*Pramukh Sachiv*.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 275 राजपत्र–2025–(809)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 कार्मिक–2025–(810)–200 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।